




न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बुण्डू(राँची)

आदेश पत्रक

गीता देवी वर्गेश

वनाग

युनेश्वा मल्ली वर्गेश

क्र०/तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	की गई कार्रवाई
	<p>अभिलेख सं०-एग.....32.../2018 धारा-107 द०प्र०सं० थाना प्रभारी बुण्डू..... के अप्राथमिकी सं०-09/18 दिनांक-22-03-18 प्रस्तुत पुलिस प्रतिवेदन/आवेदन से सूचना मिली है कि बुण्डू थाना कोड 20 15/18 एवं 16/18 दि० 15-03-18 धारा 341/323/504/506/34 भा० द०वि० (आपसी विवाद) को लेकर उभय पक्ष में तनाव है।</p> <p>जिससे संभावना है कि परिशांति भंग होगी या लोक परिशांति क्षुब्ध होगी या उभय पक्ष/विपक्षी कोई ऐसा असंतोषकारी कार्य करेंगे जिससे परिशांति भंग हो जाएगी या लोक परिशांति क्षुब्ध हो जाएगी।</p> <p>अतः मैं पायल राज, कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू(राँची) उक्त पुलिस प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध द०प्र०सं० की धारा-107 के अन्तर्गत कार्यवाही आरंभ करती हूँ। उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध सूचना निर्गत करें कि वे कारण दर्शित करें कि उन्हें एक वर्ष तक परिशांति कायम रखने के लिए उभय/उनसे प्रत्येक को 1000(एक हजार) रू० का बन्ध पत्र उसी राशि के दो जमानतदारों के साथ राशि दाखिल करने हेतु आदेश क्यों नहीं दिया जाय।</p> <p>अभिलेख तिथि 11-05-18 को उपस्थापित करें। लेखापित एवं संश्लेषित</p> <p> कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू।</p> <p> 20/4/18 कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू।</p> <p>अभिलेख उपस्थापित 1 उभय पक्ष अनुपस्थित दिनांक 28-05-18 को एवं ।</p> <p> 11/5/18</p>	

05-18

04-01-19

अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पत्र
अधिवक्ता हाजरी दितीय पत्र अनुपस्थित।
उक्त वाद में 6 (6) माह की
अवधि पूर्ण हो चुकी है अर्थात्
वाद कालबाधित हो गया है।
अतः वाद में अभिलेख की कारवाई
बन्द की जाती है।


04/01/19